

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 5-2/2014/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक ²⁵ अगस्त, 2014

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- सामान्य भविष्य निधि खातों के अंतिम भुगतान का निराकरण ।

संदर्भ- उप महालेखाकार कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, ग्वालियर का अ.शा. पत्र क्रमांक एफ एम/163 दिनांक 19-6-2014.



महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा सामान्य भविष्य निधि खातों में त्रुटियों को नगण्य/समाप्त करने तथा अभिदाता को सामान्य भविष्य निधि राशि का अंतिम भुगतान उसकी सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राधिकृत हो सकने की व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है ।

2/ मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा भी समय-समय पर उपर्युक्त संबंधी जारी निर्देशों का सामान्यतः पालन हो रहा है परन्तु अभी और सुधार तथा तत्परता अपेक्षित है । यह सर्वविदित है कि सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि अभिदाता की स्वयं की राशि होती है अतः इस संबंध में जारी नियम/निर्देशों का पालन मात्र शासकीय प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना ही नहीं अपितु यह अभिदाता के स्वहित में भी होगा ।

3/ अतः सामान्य भविष्य निधि खातों के गुणवत्तापूर्ण रख रखाव एवं अंतिम भुगतान के तत्परतापूर्वक निराकरण हेतु निम्नांकित कार्यवाहियां सुनिश्चित करने हेतु पुनः ध्यान आकर्षित किया जाता है :-

(अ) मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि 1955 के नियम 10(1) के प्रावधान अनुसार अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि से लेन देन सेवानिवृत्ति के चार माह पूर्व अनिवार्य रूप से बन्द किया जाये ।


(ब) अंतिम भुगतान के प्रकरणों में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर आवश्यक दस्तावेजों सहित महालेखाकार कार्यालय को भेजे जावें ।

PTO

- (स) महालेखाकार द्वारा वर्ष 2013-14 से सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं के वार्षिक लेखा विवरण पत्रक (लेखापर्ची) सी.डी. के माध्यम से आहरण संवितरण अधिकारियों को भेजी जा रही हैं। वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखा विवरण पत्रक, कार्यालय की वेबसाइट www.agmp.cag.gov.in एवं www.agmp.nic.in पर भी उपलब्ध है।
- (द) सामान्य भविष्य निधि के खाते की त्रुटियों को नगण्य करने के लिये शेड्यूल्स/क्वाउचर्स में सुस्पष्ट व पूर्ण प्रविष्टियां की जाये।
- (इ) ऋणात्मक शेष के प्रकरणों में आहरण स्वीकृति जारी नहीं की जाए एवं खातों में अविलम्ब सुधार कराया जाए।
- (फ) अभिदाता की सामान्य भविष्य निधि पासबुक में सभी जमा/आहरण के पूर्ण विवरण सहित प्रविष्टियां दर्ज कर, ब्याज गणना सहित अनिवार्यतः प्रमाणित किया जावे।
- (ग) यदि अभिदाता विभागीय भविष्य निधि का सदस्य रहा हो तो उस खाते को बन्द कर, जमा/आहरण का विवरण पत्र तैयार कर, अद्यतन ब्याज गणना कर सामान्य भविष्य निधि में समायोजन कर सामान्य भविष्य निधि खाता आवंटन प्रपत्र के साथ अविलम्ब महालेखाकार कार्यालय को भेजा जाये।
- 4/ अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि खाते में कोई त्रुटि/विसंगति होने पर पूर्ण सत्यापित विवरण के साथ महालेखाकार, मध्यप्रदेश को लिखने के साथ-साथ शिकायत वेबसाइट से On Line Grievance Redressal पर भी दर्ज की जा सकती है।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(मनीष रस्तोगी)

सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग


PTO

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 5-2/2014/नियम/चार
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक २५ अगस्त, 2014

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।


(अजय चौबे)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग